राज्य सूचना आयोग
सूचना भवन, चौथा तल्ला, बेली रोड, बिहार, पटना।
दूरभाष– 2215713, 2235059, 2200412, 2200426 फैक्स–2235466

वाद संख्या–61697/11–12

श्री विश्वनाथ डालमिया

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, गृह आरक्षी विभाग, पुराना सचिवालय, पटना

27.04.12

''लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित हैं। आवेदक अनुपस्थित हैं। आवेदक ने निम्नलिखित सूचना मांगी है–

1. जिला शस्त्र पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 243 दिनांक 17.03.2008 में गृह आरक्षी विभाग से मांगे गये निर्देश पर कृत कार्रवाई का ब्यौरा, टिप्पणी आदेश की अभिप्रमाणित प्रति देने की कृपा करेंगे।

2. जिला शस्त्र पदाधिकारी, मुंगेर को उपरोक्त पत्र के आलोक में कोई मार्ग निदेश अभी तक नहीं दिया गया है तो किन कारणों से, का ब्यौरा अपेक्षित है।

3. आवेदक के अग्नेय शास्त्रों का नवीकरण विगत छहः वर्षों से क्रमशः वर्ष 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 एवं 2011 तक नहीं किये जाने हेतु दोषी पदाधिकारी का नाम, पदनाम बतलाने का कष्ट करेंगे।

4. मेरे अग्नेय शास्त्रों का नवीकरण करने हेतु कब तक मार्ग निदेश जिला शस्त्र पदाधिकारी, मुंगेर को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि नहीं कराया जाएगा तो किन कारणों का ब्यौरा अपेक्षित है।

5. अग्नेय शास्त्रों का नवीकरण के पश्चात् वन विभाग से निबंधन कराना है अथवा वन विभाग के निबंधन के पश्चात् नवीकरण कराना है इससे संबंधित जवाब अपेक्षित है।

6. अ0शास्त्रों का नवीकरण की अवधि कितने वर्षों की है अथवा वह अनुज्ञप्तिधारी अथवा शस्त्र द0 को तय करना है सो आवेदक को सूचित करें।

7. नवीकरण शुल्क भुगतान किन–किन माध्यमों से करना है, इसका ब्यौरा अपेक्षित है।

आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना, सूचना की परिभाषा में नहीं आने के कारण देय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना की व्याख्या करते हुए दिनांक 09.08.2011 को Central Board of Secondary Education and Anr. Vrs. Aditya Bandopadhyay में निम्नलिखित रूप में की है, जिसे आवेदक को सुलभ प्रसंग हेतु उद्धृत किया जा रहा है–

"At this juncture, it is necessary to clear some misconceptions about the RTI Act. The RTI Act provides access to all information that is available and existing. This is clear from a combined reading of section 3 and the definitions of 'information' and 'right to information' under clauses (f) and (j) of section 2 of the Act. If a public authority has any information in the form of data or analysed data, or abstracts, or statistics, an applicant may access such information, subject to the

exemptions in section 8 of the Act. But where the information sought is not a part of the record of a public authority, and where such information is not required to be maintained under any law or the rules or regulations of the public authority, the Act does not cast an obligation upon the public authority, to collect or collate such non-available information and then furnish it to an applicant. A public authority is also not required to furnish information which require drawing of inferences and/or making of assumptions. It is also not required to provide 'advice' or 'opinion' to an applicant, nor required to obtain and furnish any 'opinion' or 'advice' to an applicant. The reference to 'opinion' or 'advice' in the definition of 'information' in section 2(f) of the Act, only refers to such material available in the records of the public authority. Many public authorities have, as a public relation exercise, provide advice, guidance and opinion to the citizens. But that is purely voluntary and should not be confused with any obligation under the RTI Act."

आवेदक की मुख्य मुद्दा यह है कि उनके दोनाली बन्दूक का नवीकरण नहीं किया जा रहा है। यह सूचना के अधिकार अधिनियम का मामला नहीं है। वाद का निष्पादन किया जाता है।''

ह0/–
(अशोक कुमार चौधरी)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

ज्ञापांक– 1397 /रा0सू0आ0 पटना, दिनांक 10 मई, 2012

प्रतिलिपिः लोक सूचना पदाधिकारी, गृह आरक्षी विभाग, पुराना सचिवालय, पटना/श्री विश्वनाथ डालमिया, मो0+पो0–हवेली, खड़गपुर, मुंगेर को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(बी0 के0 वर्मा)
विधि पदाधिकारी–सह–निबंधक (न्यायिक)